तेन्ज

14.11.19 पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण उपस्थित, प्रतिवादी सं. 07 का सम्मन अदम तामील प्राप्त हुआ जिसे शा० प० किया गया, प्रतिवादी सं. 04 लगायत 03 की ओर से जवाबदावा प्राप्त हुआ जिसे शा० किया गया, एक प्रति वादीगण अधिवक्ता को दिलायी गयी। जवाबदावा वकालात नामे के अभाव मे खारीज किया जाता है वास्ते पत्रावली मे विपक्षी सं. 4, 5, 6 व 8 के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही हेतु विपक्षी सं. 07 के सम्मन पेश होने व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 03 के अधिकार पत्र पेश होने पत्रावली दिनांक 23.1.20 को पेश हो

23.1.20 उभय पक्ष उपरिथत पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7-2-20 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7.2.20 पत्रावली पेश हुई, विपक्षीगण 01 से 03 की ओर से अधिकार पत्र पूर्व दिनांक 22.11.19 को व जवाबदावा रेकार्ड पर लेने हेतु प्रा. पत्र प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी अनुपस्थित, वकील वादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण वकील वादीगण का वादपत्र अदम हाजरी / अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के अधिवक्ता उपस्थित।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा